



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Nuclear Power Corporation of India Limited (भारत सरकारका एकउद्यम A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल, आडीभीत तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel, Adibheet The. Choti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

No. NPCIL/MBRAPP/2021/ 319

Dtd:-30-12-2021

निमित्त,
उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

विषय:- माही बांसवाड़ा ऐटोमिक पावर प्रोजेक्ट (एम.बी.आर.ए.पी.पी. 1-4) की स्थापना हेतु 100.5
हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

प्रसंग :-आपका पत्र क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं./2021/11632 दिनांक 16-12-2021
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की गई ESD दिनांक 16-12-2021 में इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओं से वांछित
सूचना/प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :-

बिन्दु संख्या 2 :- In part I, employment generation is for 1700, but uploaded document is contradictory.

प्रत्युत्तर :- उक्त परियोजना में स्थायी/नियमित रूप से नियोजित किये जाने वाले 1700 व्यक्तियों का विस्तृत विवरण
Additional Documents के Section में अपलोड कर दिया गया है, इसकी Hard Copy 5 प्रतियों में संलग्न प्रस्तुत है।
विरोधाभासी दस्तावेजों को हटा लिया गया है।

बिन्दु संख्या 3 :- In tree enumeration report, still it is not clear that how many trees are to be cut and how
many are to be pruned.

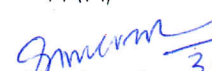
प्रत्युत्तर :- उक्त परियोजना के निर्माण में वास्तव में पातन करवाये वृक्षों को चिन्हित करवा लिया गया है। तदनुसार पातन
करवाये जाने वाले कुल 2910 वृक्षों की सूची तैयार कर Additional Documents के Section में अपलोड कर दी गई है,
इसकी Hard Copy 5 प्रतियों में संलग्न प्रस्तुत है। इसके अलावा अन्य और कोई भी वृक्ष पातन अथवा छंगाई करवाया जाना
प्रस्तावित नहीं है।

बिन्दु संख्या 4 :- Many Documents uploaded in PART II by DCF are related to User agency. So these
documents should be uploaded by user agency in PART I and DCF has to remove them.

प्रत्युत्तर :- इस कार्यालय से सम्बन्धित दस्तावेज जो की उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के स्तर से पार्ट-II में अपलोड किये गये
थे, उनको इस कार्यालय के स्तर से पार्ट-I में Additional Documents के Section में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(एस. के. वर्मा)

मुख्य अभियन्ता

एन.पी.सी.आई.एल. बांसवाड़ा